



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र, 1943 (श०)

संख्या- 273 राँची, शुक्रवार,

09 अप्रैल, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

1 सितम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-248/2014 का०-4300-- लोकायुक्त का कार्यालय, झारखण्ड के पत्रांक-5470, दिनांक- 22.12.2012 द्वारा श्री गोपाल कृष्ण कुँवर, झा0प्र0से0 (द्वितीय बैच, गृह जिला-साहेबगंज), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग के कार्यावधि से संबंधित आरोप-पत्र की प्रति लोकायुक्त अधिनियम, 2001 की धारा-10(1)(क) के तहत उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगाये गये हैं:-

(क) श्री उमेश कुमार यादव, गोंदलपुरा पैक्स के पूर्व अध्यक्ष द्वारा तैयार की गयी वर्ष 2009 के राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का लाभ पाने वाले किसानों की सूची को बिना प्राप्ति रसीद की जाँच के ही सत्यापित किया गया, जिसके कारण 40 वैसे किसान, जिन्होंने बीमा राशि जमा किया था, लाभ पाने से वंचित रह गये।

(ख) किसानों की सूची में नाबालिग बच्चों एवं गोंदलपुरा पैक्स क्षेत्र से बाहर के किसानों को भी बिना जाँच के सत्यापन कर पैक्स नियमावली के विरुद्ध बीमा राशि का भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया।

2. माननीय लोकायुक्त से प्राप्त आरोप-पत्र को विभागीय पत्रांक-870, दिनांक 29.01.2013 द्वारा श्री कुँवर को नोटिस का तामिला कराने हेतु उपायुक्त, चतरा को भेजा गया। मामले

की सुनवाई के पश्चात् माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक 11.09.2013 को आदेश पारित किया गया, जिसमें श्री कुँवर के विरुद्ध उक्त आरोपों को सही मानते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गयी। उप सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3804, दिनांक 19.09.2013 द्वारा माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक 11.09.2013 को पारित आदेश की प्रति, परिवाद पत्र, जाँच प्रतिवेदन साक्ष्य एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2001 की धारा-10(1)(क) के अन्तर्गत निर्गत नोटिस की प्रति विभाग को उपलब्ध करायी गयी।

3. माननीय लोकायुक्त से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री कुँवर के विरुद्ध विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या-10464, दिनांक-29.10.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-234, दिनांक-03.06.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी, श्री कुँवर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

4. श्री कुँवर के विरुद्ध आरोप एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत, प्रमाणित आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं0-7606, दिनांक 21.08.2015 द्वारा श्री कुँवर के विरुद्ध सेवा-संपुष्टि की अर्हता प्राप्त करने की तिथि को दण्ड स्वरूप सेवा-संपुष्टि की तिथि से अगले चार वर्षों तक बढ़ाये जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

5. उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री कुँवर द्वारा अपने पत्रांक-3, दिनांक 11.02.2016 एवं पत्रांक-6, दिनांक 27.02.2016 द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री कुँवर द्वारा अपील अभ्यावेदन में अधिकतर उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया, जो उन्होंने बचाव-बयान में समर्पित किया था। पूरक अपील अभ्यावेदन की अंतिम कंडिका में उनके द्वारा अंकित किया गया कि असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49 में वर्णित दण्ड की सूची में उन्हें अधिरोपित दण्ड शामिल नहीं है। अतः अधिरोपित दण्ड न्याय संगत एवं उचित प्रतीत नहीं होता है।

6. श्री कुँवर द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में कहे गये उक्त बिन्दु की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री कुँवर की सेवा संपुष्टि नहीं है। जब तक ये सेवा सम्पुष्टि की अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49 में वर्णित दंड का उनपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। समीक्षोपरांत विधि विभाग से निम्नांकित बिन्दुओं पर परामर्श की माँग की गई-

“श्री कुँवर के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए उनकी सेवा सम्पुष्टि की अर्हता प्राप्त करने की तिथि दण्ड स्वरूप सेवा सम्पुष्टि की तिथि से अगले चार वर्षों तक बढ़ाये जाने का दण्ड दिया गया है, जो असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49 में अंकित सूची में नहीं है। वर्णित स्थिति में क्या इनकी सेवा से बर्खास्तगी दण्ड दिया जाना एकमात्र नियमसंगत

दण्ड है, जिसे अधिरोपित करने हेतु द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना कानून सही होगा?"

7. उक्त के आलोक में विधि विभाग परामर्श उपलब्ध कराया गया, परन्तु उक्त परामर्श याचित पृच्छा के आलोक में नहीं होने के कारण पुनः विधि विभाग से परामर्श की माँग की गई। इस संबंध में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा निम्नांकित परामर्श दिया गया-

"From perusal of the rule 49, Explanation II of the Civil Services (C.C. & A.) Rules, 1930 which is adumbrated herein below **"The discharge of a probationer, whether during or at the end of the period of probation for some specific fault or on account of his unsuitability for the services, amounts to removal or dismissal within the meaning of this rule"** and what is gathered from Explanation II is that the case of the delinquent comes within the purview of Major Punishment."

8. इसी बीच पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, हजारीबाग के पत्रांक-1257/भ्र0नि0, दिनांक द्वारा श्री कुँवर को निगरानी थाना कांड सं0-41/13, दिनांक 02.11.2013 में 19.01.2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की सूचना दी गई, जिसके आलोक में विभागीय आदेश सं0-1251, दिनांक-08.02.2017 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत कारा निरुद्ध की तिथि 19.01.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक श्री कुँवर को निलंबित किया गया। हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् विभागीय आदेश सं0-6203, दिनांक 15.05.2017 द्वारा पुनः श्री कुँवर को निलंबित किया गया तथा तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया गया।

9. विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री कुँवर के विरुद्ध पूर्व में संकल्प सं0-7606, दिनांक 21.08.2015 द्वारा अधिरोपित दण्ड को विभागीय संकल्प सं0-9776, दिनांक 13.09.2017 द्वारा निरस्त किया गया तथा श्री कुँवर को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत सरकारी सेवा से मुक्त करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-9962, दिनांक 20.09.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई।

10 उक्त के आलोक में श्री कुँवर द्वारा अपने पत्र, दिनांक 20.11.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा एवं पुनः दिनांक 15.05.2018 द्वारा पूरक द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया। श्री कुँवर द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(क) राष्ट्रीय फसल बीमा 2009 के बीमित कृषक की सूची का निर्माण इनके प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण की तिथि 23.10.2009 के पूर्व हो चुकी थी।

(ख) जहाँ तक किसानों की सूची में नबालिग बच्चों एवं गोंदलपुरा पैक्स क्षेत्र से बाहर के किसानों को भी बिना जांच के सत्यापन कर पैक्स नियमावली के विरुद्ध बीमा राशि का भुगतान कर लाभ पहुँचाने का प्रश्न है, आवेदक श्री नन्द लाल महतो द्वारा अपने परिवाद पत्र में उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।

(ग) पैक्स नियमावली में बीमा भुगतान में प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी को किसी अनियमितता का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।

श्री कुँवर द्वारा पूरक द्वितीय कारण पृच्छा में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(क) प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़कागाँव के पत्रांक-432, दिनांक 09.03.2011 के फर्जी पत्र के माध्यम से गोंदलपुरा पैक्स ही नहीं बड़कागाँव के अन्य पैक्स के अध्यक्षों द्वारा फसल बीमा राशि 2009 का भुगतान किया गया।

(ख) सहकारिता विभाग के पत्रांक-1587 दि० 07.08.2010 का अनुपालन उपायुक्त, हजारीबाग के स्तर से नहीं किया गया । उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा उक्त पत्र के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़कागाँव को कोई दिशा-निर्देश नहीं भेजा गया।

(ग) प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़कागाँव के पत्रांक-169 दि० 14.02.2011 एवं पत्रांक-342 दि० 09.03.2011 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्र पर कार्यालय सहायक का हस्ताक्षर नहीं है एवं ये पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़कागाँव के कार्यालय से निर्गत नहीं हुआ था।

(घ) प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़कागाँव के पत्रांक-97, दिनांक 02.02.2018 तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी, हजारीबाग के पत्रांक-994 दि० 04.12.2017 से स्पष्ट होता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़कागाँव द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा 2009 के भुगतान हेतु पत्रांक-342 दि० 09.03.2011 जिला सहकारिता पदाधिकारी, हजारीबाग को भेजा ही नहीं गया।

11. श्री कुँवर के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, आरोपों पर संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा एवं पूरक द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(क) श्री कुँवर का प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग के रूप में उनकी प्रथम पदस्थापना थी।

(ख) श्री कुँवर द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव-बयान में अंकित किया गया है कि उन्होंने किसी को लाभ पहुँचाने, गबन करने अथवा स्वयं के लाभ के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, 2009 की सूची का अग्रसारण नहीं किया था, जो सत्य प्रतीत होता है।

(ग) गोंदलपुरा पैक्स में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना 2009 में कृषकों की गलत सूची तैयार करने हेतु तत्कालीन गोंदलपुरा पैक्स अध्यक्ष श्री उमेश कुमार यादव एवं तत्कालीन प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बड़कागांव श्री योगेन्द्र पोद्दार मुख्य रूप से दोषी प्रतीत होते हैं।

(घ) श्री कुँवर के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों की प्रकृति ऐसी नहीं है कि उन्हें “सेवा से मुक्त” करने संबंधी वृहत् दण्ड दिया जाय। यह दण्ड प्रमाणित आरोपों के समानुपातिक प्रतीत नहीं होता है।

(ड.) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-849, दिनांक-13.05.2019 द्वारा सूचित किया गया है कि इस मामले में श्री रविशंकर पाण्डेय, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, हजारीबाग के विरुद्ध पांच वर्षों के लिए पेंशन से 10% राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

(च) श्री कुँवर द्वारा मुख्यतः इस मामले में कर्तव्य में चूक की गई है। उनके द्वारा कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की गई है।

12. अतः समीक्षोपरांत श्री गोपाल कृष्ण कुँवर, झा0प्र0से0 (द्वितीय बैच), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग को निलंबन से मुक्त करते हुए इनके विरुद्ध पूर्व में प्रस्तावित दण्ड “सेवा से मुक्त” के स्थान पर झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 के परन्तुक के आलोक में इस मामले को आपवादिक/विशेष मामला मानते हुए निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया जाता है-

(क) श्री कुँवर के विरुद्ध विचाराधीन निगरानी थाना कांड संख्या-41/13, दिनांक दिनांक 02.11.2013 में अंतिम न्यायादेश आने तक उनकी सेवा सम्पुष्टि पर रोक।

(ख) झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत सेवा सम्पुष्टि का आदेश निर्गत की तिथि से असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

B